



THE JHARKHAND GAZETTE EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

1 CHAITRA 1947 (S)

No. 144

RANCHI SATURDAY 22ND MARCH, 2025

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION
22nd March, 2025

S.O. 6, dated 22nd March, 2025 — In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 110 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), and proviso thereof, the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, in respect of the qualification of the officers of Jharkhand for appointment as a Technical Member (State) in the State Benches of Goods and Services Tax Appellate Tribunal, hereby relaxes the qualification from the requirement of -

i. “completion of twenty-five years of service in Group ‘A’, or equivalent” as per proviso to clause (d) of sub-section (1) of section 110 of Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) to “an officer of the Commercial Tax Department of Jharkhand, who has completed at least twenty-five years of service in the Government, as Gazetted Officer”; and

ii. “not below the rank of Additional Commissioner” to “not below the rank of Joint Commissioner of State tax” as a minimum qualifying rank of the officer who shall be eligible for Technical Member (State) subject to other conditions of section 110 (1) (d) of the CGST Act, 2017.

2. The said relaxation is applicable for a period of ten years and is subject to the other terms and conditions of sections 110 (1) (d) of the CGST Act, 2017.

3. This notification shall be effective from the date of publication in the official Gazette.

[File. No. Va.Kar/Sansodhan/04/2023 (Part-1)]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Ameet Kumar,
Commissioner,
Commercial taxes Department.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

22 मार्च, 2025

एस० ओ० 6, दिनांक 22 मार्च, 2025- केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 110 की उप-धारा (1) के खंड (घ) और उसके प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की राज्य पीठ में तकनीकी सदस्य (राज्य) के रूप में नियुक्ति के लिए झारखण्ड के अधिकारियों की योग्यता की आवश्यकता को निम्नवत शिथिल करती है -

- केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 110 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के प्रावधान के अनुसार "समूह 'क' या समतुल्य सेवा में पच्चीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने की अपेक्षा", को "झारखण्ड के वाणिज्य कर विभाग का अधिकारी जिसने राजपत्रित अधिकारी के रूप में सरकार में कम से कम पच्चीस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो"; और
- अधिकारी की न्यूनतम योग्यता रैंक के रूप में "अपर आयुक्त के पद से अन्नूयन" को "राज्य कर संयुक्त आयुक्त पद से अन्नूयन" जो सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 110 (1) (घ) की अन्य शर्तों के अधीन तकनीकी सदस्य (राज्य) के लिए पात्र होंगे।

2. सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 110 (1) (घ) के अन्य शर्तों एवं निर्बंधनों अध्याधीन यह शिथिलता 10 वर्षों के लिए प्रभावी होगी।

3. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

[सं.सं.वा0कर/संशोधन /04/2023 (पार्ट-1)]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

अमीत कुमार,
आयुक्त,
वाणिज्य कर-विभाग ।
